IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण

Women Empowerment

* डॉ. अनिल कुमार

असि. प्रोफेसर, अर्थशास्त्र

श्री बजरंग पी. जी. कॉलेज

दादर आश्रम, सिकंदरपुर, बालियां

प्रस्तावना-

महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं- "महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं। अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार व समाज में अच्छे से रह सकती है।

समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है।"

महिला सशक्तिकरण क्या है?

महिला सशक्तिकरण क्या है? इसको जानने से पहले हमें सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? इसको जानना बहुत जरूरी है।

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें वह योग्यता आ जाती है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकें।

महिला सशक्तिकरण मे भी हम उसी क्षमता की बात करते हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता स्वयं हो।

पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में-

"लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वह अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।"

महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाय?

हमारे देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी व गन्दे सोच को, बुराइयों को मारना जरूरी है जैसे- दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय।

लैंगिक भेदभाव देश में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर खिंचता है।

भारत के संविधान में उल्लेखित 'समानता के अधिकार' को सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है।

सरकार द्वारा जो भी योजनाएं है, बनाए गए कानून है महिला सशक्तिकरण के लिए, उसे जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करवाना होगा। उन्हें जागरूक करना होगा, उनके बीच जाना होगा।

देश में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो।

महिला सशक्तिकरण के लिए एक शिक्षित परिवार का होना बहुत जरूरी है। आज भी हमारे देश के कई पिछड़े क्षेत्रों में माता-पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में ही विवाह करने और अधिक बच्चे पैदा करने का चलन है, जो महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बाधक है।

सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है।

सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और उन्हें वहां की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके और महिला सशक्तिकरण की सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की क्यों आवश्यकता है?

हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से ही भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया। उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार, समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत देश में ही नहीं अपितु दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है।

महिलाओं के लिए प्राचीन काल से ही समाज में चले आ रहे अनेक गलत और पुराने चलन को नए रीति-रिवाजों और परंपराओं में ढाल दिया गया था। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए मां, बहन, पुत्री व पत्नी के रूप में

महिला देवियों को पूजने की परंपरा रही है। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि केवल महिलाओं को पूजने भर से देश के विकास की जरूरत पूरी हो जाएगी और महिलाएं सशक्त हो जाएंगी।

आज जरूरत है देश की आधी आबादी यानि महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए जो देश के समग्र विकास का आधार बनेगी।

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं-

हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है-

सामाजिक स्थिति-

हमारे देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आज भी पुरानी और रूढ़िवादी विचारधारा के कारण महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। महिलाएं शिक्षा और रोजगार के लिए चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती हैं। जिससे महिलाएं अपने को पुरुषों की अपेक्षा कमतर समझने लगती है। ऐसे स्थिति में महिला अपने सामाजिक और आर्थिक दशा को बदल पाने में नाकाम रहती है।

कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण-

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाला शोषण महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बाधक है। मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र की सेवाओं में जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थान और अस्पताल में यह समस्या बहुत जटिल है। यह समाज में पुरुष प्रधानता के वर्चस्व के कारण होता है। पिछले कुछ समय में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक शोषण व उत्पीड़न में काफी वृद्धि देखी जा रही है।

लैंगिक भेदभाव-

आज भी देश में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को अपने कार्य में निर्णय लेने की आजादी नहीं होती है। उन्हें पुरुषों के तुलना में कमतर समझा जाता है। इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव से महिलाएं अपना सोच विकसित नहीं कर पाती हैं जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। यह महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है।

भुगतान में असमानता-

हमारे देश में आज भी यह समस्या बहुत जटिल है कि एक ही काम करने पर एक ही जगह और एक ही समय पर पुरुषों को महिलाओं के अपेक्षा अधिक मजदूरी दिया जाता है। असंगठित क्षेत्रों में यह स्थिति और भी बदतर है।
संगठित क्षेत्रों में भी काम करने वाली महिलाएं जो कि पुरुषों के समान योग्यता और अनुभव रखते हैं। फिर भी महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है।
यह चीजें पुरुष व महिलाओं के बीच असमानता को प्रदर्शित करता है। ऐसे हाल में महिला सशक्तिकरण कैसे होगा?

अशिक्षा-

हमारे देश में आज भी लड़कों के, लड़कियों के तुलना में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। महिलाओं को केवल काम चलाने हेतु पढ़ाई करवाया जाता है। बिना शिक्षा के महिलाएं अपने अधिकार को कैसे जान पाएंगे और अपना विकास कैसे कर पाएंगे?

बाल विवाह-

हमारे देश में आज भी बाल विवाह का प्रचलन है। छोटी अवस्था में लड़कियों का विवाह करने से ना तो उनका मानसिक विकास और ना ही शारीरिक विकास हो पाता है और कम उम्र में ही बच्चा पैदा करने के कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है।

महिलाओं के साथ होने वाले अपराध-

आज भी महिलाओं के साथ अपराध और हत्या हो रही है। जैसे- दहेज के लिए हत्या, बलात्कार इसके अतिरिक्त कन्या भ्रूण हत्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में कैसे महिला सशक्तिकरण हो सकता है? यह सब महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका-

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर हर संभव कोशिश भी कर रही है।
कुछ मुख्य योजनाएं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, इस प्रकार है।-

1. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना**
2. **महिला हेल्पलाइन योजना**
3. **उज्जवला योजना**
4. **सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एंप्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप)**
5. **पंचायती राज योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण**
6. **महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड का आवंटन**
7. **मिशन शक्ति**

निष्कर्ष-

देश में महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को लागू करने के लिए, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए, लैंगिक समानता के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, परिवार, समाज और देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है।

सरकार को महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित नीतियों एवं योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर लागू करके, महिलाओं को शिक्षित करके, जागरूक करके और सबसे बड़ी बात उन्हें आर्थिक निर्भरता अर्थात आर्थिक मजबूती प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है और यही वर्तमान समय की मांग है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिला अपने विषय में स्वयं निर्णय ले सके। यह तभी संभव है जब महिला सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक रूप से मजबूत बने, सशक्त बने। इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना एवं जागरूक होना अति आवश्यक है और साथ ही साथ संविधान, कानून और सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन हो।

देश के सर्वांगीण विकास के लिए एवं वास्तविक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण का होना बहुत जरूरी है। जब महिलाएं शिक्षित एवं जागरूक बनेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी तो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं। जैसे ही महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेना शुरू करती हैं महिलाएं सशक्त हो जाती है।

जब सशक्त महिला, परिवार, समाज और देश में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू करती है, तब सही मायने में देश का समग्र विकास होता है।

सुझाव-

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार जो भी कानून एवं नीतियां बनायीं है, भारतीय संविधान में महिलाओं के हितों के लिए जो प्रावधान है, सरकार अपने स्तर पर जो भी व्यापक योजनाएं चला रही है, इन सभी को धरातल पर वास्तविक रूप से सरकार को लागू करवानी चाहिए।

सबसे अधिक जोर महिलाओं के शिक्षा एवं जागरूकता पर देनी चाहिए और साथ ही साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। जिस दिन महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगी वे अपना समस्त निर्णय स्वयं ले सकती हैं, अपना विकास कर सकती हैं और तब जाकर वास्तविक रूप में महिला सशक्तिकरण होगा और देश का सर्वांगीण विकास होगा।

संदर्भ-

1. "महिला सशक्तिकरण: एक नई दिशा" - डॉ. विमला रामास्वामी (2015).

2. "महिला सशक्तिकरण: चुनौतियाँ और अवसर" - डॉ. सुनीता सिंह (2018).

3. "महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण" - डॉ. रंजना कुमार (2016).

4. "महिला सशक्तिकरण: एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य" - डॉ. ममता शर्मा (2020).

5. "महिला सशक्तिकरण: एक आवश्यकता" - डॉ. सीमा गुप्ता, जर्नल ऑफ वुमेन स्टडीज (2019).

6. "महिलाओं की स्थिति और सशक्तिकरण" - डॉ. कविता सिंह, जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज (2017).

7. "महिला सशक्तिकरण: एक चुनौती" - डॉ. प्रियंका गुप्ता, जर्नल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट (2020).

8. अमर उजाला- दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी.

9. हिंदुस्तान- दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी.

10. इंटरनेट.